

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2021—ज्येष्ठ 14, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रमा सोनवानी ध. प. स्व. रामायण लाल सोनवानी, उम्र 44 वर्ष, निवासी- क्वार्टर नं.-8/सी, सड़क 14, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम रमा सोनवानी है. मेरे पति स्व. रामायण लाल सोनवानी, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे. उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रमा देवी (Rama Devi) दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम रमा सोनवानी (Rama Sonwani) दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे श्रीमती रमा सोनवानी (Smt. Rama Sonwani) ध. प. स्व. रामायण लाल सोनवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रमा देवी
(Rama Devi)

पति-स्व. रामायण लाल सोनवानी
निवासी-क्वार्टर नं.-8/सी, सड़क 14,
सेक्टर 4, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती रमा सोनवानी
(Smt. Rama Sonwani)

पति-स्व. रामायण लाल सोनवानी
निवासी-क्वार्टर नं.-8/सी, सड़क 14,
सेक्टर 4, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनंत गुप्ता आत्मज श्री बनारसी प्रसाद गुप्ता, उम्र 43 वर्ष, निवासी-08/बी, एच. एस. सी. एल. कालोनी, रूआबांधा, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम अनंत गुप्ता (Anant Gupta) है। किन्तु मेरी पुत्री साक्षी, वैष्णवी गुप्ता जो कि कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं उनके स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम (Anand Gupta) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे अनंत गुप्ता (Anant Gupta) आत्मज श्री बनारसी प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Anand Gupta
पिता-श्री बनारसी प्रसाद गुप्ता
निवासी-08/बी, एच. एस. सी. एल. कालोनी,
रूआबांधा, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अनंत गुप्ता
(Anant Gupta)
पिता-श्री बनारसी प्रसाद गुप्ता
निवासी-08/बी, एच. एस. सी. एल. कालोनी,
रूआबांधा, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Rajan Anand आत्मज Shri K. R. Rajan, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-23/ए, डी-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम Rajan Anand है जो कि मेरे पैनकार्ड, आधार कार्ड व कुछ शासकीय अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा लघु नाम R. Anand दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे Rajan Anand आत्मज Shri K. R. Rajan के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

R. Anand
पिता-Shri K. R. Rajan
निवासी-क्वा. नं.-23/ए,
डी-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Rajan Anand
पिता-Shri K. R. Rajan
निवासी-क्वा. नं.-23/ए,
डी-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनीश कुमार आत्मज श्री सुशील कुमार, उम्र 45 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं.-9 ए, सड़क 30, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम कुमारी आशी है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके कक्षा पहली से चौथी तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अराध्या कुमार दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरी पुत्री को कुमारी आशी आत्मजा अनीश कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अराध्या कुमार
पिता- श्री अनीश कुमार
निवासी-क्वार्टर नं.-9 ए,
सड़क 30, सेक्टर 5, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कुमारी आशी
पिता- श्री अनीश कुमार
निवासी-क्वार्टर नं.-9 ए,
सड़क 30, सेक्टर 5, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दत्तात्रय निमजे आत्मज श्री गजानन निमजे, निवासी-आनन्द नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम रूद्र निमजे था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम पवित्र कुमार निमजे रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को पवित्र कुमार निमजे आत्मज दत्तात्रय निमजे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रूद्र निमजे
पिता-श्री दत्तात्रय निमजे
निवासी-आनन्द नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

पवित्र कुमार निमजे
पिता-श्री दत्तात्रय निमजे
निवासी-आनन्द नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगेश्वर साहू आत्मज श्री लखन लाल साहू उम्र 41 वर्ष, निवासी-ग्राम गोड़ेला, पोस्ट-निकुम, थाना-अर्जुन्दा, तहसील-गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम योगेश्वर साहू व जन्म तिथि 12-06-1979 है। जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अगेश्वर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मैं मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे योगेश्वर साहू (Yogeshwar Sahu) आत्मज श्री लखन लाल साहू (Shri Lakhan Lal Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अगेश्वर
पिता- श्री लखन लाल साहू
निवासी-ग्राम-गोड़ेला,
पोस्ट-निकुम,
थाना-अर्जुन्दा,
तहसील-गुण्डरदेही,
जिला-बालोद (छ. ग.)

नया नाम

योगेश्वर साहू
(Yogeshwar Sahu)
पिता- श्री लखन लाल साहू
(Shri Lakhan Lal Sahu)
निवासी-ग्राम-गोड़ेला,
पोस्ट-निकुम,
थाना-अर्जुन्दा,
तहसील-गुण्डरदेही,
जिला-बालोद (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजू साहू आत्मज श्री नोहर लाल साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र. 03, पुरई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ, यह कि मेरे शालेय प्रमाण पत्र में मेरा नाम देवदत्त आ. नोहर लाल दर्ज है, जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम नोहर लाल साहू है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम राजू साहू रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे राजू साहू आत्मज श्री नोहर लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

देवदत्त
पिता-श्री नोहर लाल
निवासी-वार्ड क्र. 03, पुरई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राजू साहू
पिता-श्री नोहर लाल साहू
निवासी-वार्ड क्र. 03, पुरई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजूलाल वर्मा आत्मज श्री मालिक राम वर्मा, उम्र 47 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-ग्राम चन्द्रखुरी, थाना मंदिर हसौद, तहसील आरंग, जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं आर. एस. टी. आई. लालपुर में कार्यरत हूँ। मेरा वास्तविक नाम राजूलाल वर्मा है। जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस बुक में मेरा नाम राजू कुर्मी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे राजूलाल वर्मा आत्मज श्री मालिक राम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

राजू कुर्मी
पिता-श्री मालिक राम वर्मा
निवासी-ग्राम चन्द्रखुरी,
थाना-मंदिर हसौद,
तहसील-आरंग,
जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

राजूलाल वर्मा
पिता-श्री मालिक राम वर्मा
निवासी-ग्राम चन्द्रखुरी,
थाना-मंदिर हसौद,
तहसील-आरंग,
जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बलदाऊ साहू आत्मज स्व. भूखन साहू, उम्र 62 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-32, अम्बेडकर चौक, बालाजी नगर, सेक्टर-11, जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम बलदाऊ साहू है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है किन्तु मेरे ई. पी. एफ. ओ. के रिकार्ड व बैंक पासबुक में बलदेव साहू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे बलदाऊ साहू आत्मज स्व. भूखन साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

बलदेव साहू
पिता-स्व. भूखन साहू
निवासी-वार्ड नं.-32, अम्बेडकर चौक,
बालाजी नगर, सेक्टर-11,
जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

बलदाऊ साहू
पिता-स्व. भूखन साहू
निवासी-वार्ड नं.-32, अम्बेडकर चौक,
बालाजी नगर, सेक्टर 11,
जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओमप्रकाश शर्मा आत्मज देवीप्रसाद शर्मा, उम्र 49 वर्ष, निवासी-न्यू साकेत कालोनी, हरिनगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम ओमप्रकाश शर्मा है, किन्तु मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उसका व मेरा नाम देवांशी चौबे आत्मजा ओमप्रकाश चौबे दर्ज है जिसे परिवर्तित कर, मैंने अपनी पुत्री का नया नाम देवांशी शर्मा आत्मजा ओमप्रकाश शर्मा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरी पुत्री को देवांशी शर्मा आत्मजा ओमप्रकाश शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

देवांशी चौबे
पिता-श्री ओमप्रकाश चौबे
निवासी-न्यू साकेत कालोनी,
हरिनगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

देवांशी शर्मा
पिता-श्री ओमप्रकाश शर्मा
निवासी-न्यू साकेत कालोनी,
हरिनगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंकुश थॉमस आत्मज श्री गोथ गोडे, उम्र 28 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-16, भाटापारा, कुरूद, डॉ. चौबे हाउस, जामुल भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम अंकुश गोडे था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में दर्ज है, मैं अपने नाम के साथ उपनाम “गोडे” को परिवर्तित कर अन्य उपनाम “थॉमस” जोड़कर नया नाम अंकुश थॉमस रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे अंकुश थॉमस (Ankush Thomas) आत्मज श्री गोथ गोडे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अंकुश गोडे
(Ankush Gode)
पिता-श्री गोथ गोडे
निवासी-वार्ड नं.-16, भाटापारा,
कुरूद, डॉ. चौबे हाउस,
जामुल, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अंकुश थॉमस
(Ankush Thomas)
पिता-श्री गोथ गोडे
निवासी-वार्ड नं.-16, भाटापारा,
कुरूद, डॉ. चौबे हाउस,
जामुल, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

/ न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 31 मार्च 2021

प्रारूप

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30 और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/ प्र. 2/अ. वि. अ./2020.—यतः कि आवेदक श्री रजत सुराना आ. श्री अंजय सुराना निवासी वार्ड नं. 13 शिवपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन कोड नं. 490001 द्वारा “ग्रीन फील्ड एजुकेशन ट्रस्ट” पता- द्वारा श्री निखिल उपाध्याय आ. श्री बृजमोहन उपाध्याय निवास-3 बी मैत्री विहार सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन कोड नं. 490023” के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु दिया गया है, एतद्वारा सूचनापत्र जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में सुनवाई दिनांक 30-04-2021 को विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के अवसार के बाद किसी भी प्रकार के आपत्ति/दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम :-
व पता | “ग्रीन फील्ड एजुकेशन ट्रस्ट
पता- द्वारा श्री निखिल उपाध्याय आ. श्री बृजमोहन उपाध्याय
निवास-3 बी मैत्री विहार सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन कोड नं. 490023” |
| 2. | चल संपत्ति :- | राशि रुपये-11,000/- (अक्षरी-ग्यारह हजार रुपये मात्र) नगद |
| 3. | अचल संपत्ति :- | निरंक |

विनय कुमार पोयाम
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला जांजगीर चांपा (छ. ग.)

जिला अस्पताल के आगे, जर्वे मोड़, RTO ऑफिस के ऊपर, जांजगीर

जांजगीर, दिनांक 15 मार्च 2021

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र./उपजां/परिसमापन/2021/506.—इस कार्यालय के आदेश क्र./उपजां/परि./2008/1961 दिनांक 02-12-2014 द्वारा जय माँ अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पेण्डी पं. क्र. 311, दिनांक 25-01-2006 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, स. वि. अ. नवागढ़ है.

समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एस. जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत जय माँ अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पेण्डी पं. क्र. 311, दिनांक 25-01-2006 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 15 मार्च 2021

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र./उपजां/परिसमापन/2021/507.—इस कार्यालय के आदेश क्र./उपजां/परि./2008/98 दिनांक 07-02-2008 द्वारा शारदा महिला उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. जांजगीर पं. क्र. 142, दिनांक 07-06-1995 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, स. वि. अ. नवागढ़ है.

समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एस. जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत शारदा महिला उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. जांजगीर पं. क्र. 142, दिनांक 07-06-1995 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 15 मार्च 2021

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र./उपजा/परिसमापन/2021/508.—इस कार्यालय के आदेश क्र./उपजा/परि./2008/213 दिनांक 13-03-2008 द्वारा जय भवानी कामगार उत्खनन सहकारी समिति मर्या. सरखों, पं. क्र. 219, दिनांक 07-07-1997 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, स. वि. अ. नवागढ़ है.

समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्टित है का प्रयोग करते हुए मैं सी. एस. जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जांजगीर अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत जय भवानी कामगार उत्खनन सहकारी समिति मर्या. सरखों, पं. क्र. 219, दिनांक 07-07-1997 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 15 मार्च 2021

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र./उपजा/परिसमापन/2021/509.—इस कार्यालय के आदेश क्र./उपजा/परि./2008/100 दिनांक 07-02-2008 द्वारा आदर्श प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. नैला, पं. क्र. 123, दिनांक 05-10-1991 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, स. वि. अ. नवागढ़ है.

समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्टित है का प्रयोग करते हुए मैं सी. एस. जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जांजगीर अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत आदर्श प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. नैला, पं. क्र. 123, दिनांक 05-10-1991 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 15 मार्च 2021

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र./उपजा/परिसमापन/2021/510.—इस कार्यालय के आदेश क्र./उपजा/परि./2008/113 दिनांक 07-02-2008 द्वारा मॉ काली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जांजगीर, पं. क्र. 255, दिनांक 17-10-2000 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, स. वि. अ. नवागढ़ है.

समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमे वेष्टित है का प्रयोग करते हुए मैं सी. एस. जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जांजगीर अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत मॉ काली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जांजगीर, पं. क्र. 255, दिनांक 17-10-2000 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 15 मार्च 2021

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र./उपजा/परिसमापन/2021/511.—इस कार्यालय के आदेश क्र./उपजा/परि./2008/112 दिनांक 07-02-2008 द्वारा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या. जांजगीर, पं. क्र. 281, दिनांक 18-04-2000 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, स. वि. अ. नवागढ़ है.

समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमे वेष्टित है का प्रयोग करते हुए मैं सी. एस. जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जांजगीर अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या. जांजगीर, पं. क्र. 281, दिनांक 18-04-2000 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 15 मार्च 2021

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र./उपजां/परिसमापन/2021/512.—इस कार्यालय के आदेश क्र./उपजां/परि./2008/1961 दिनांक 02-12-2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बोरदा, पं. क्र. 340, दिनांक 04-10-2005 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, स. वि. अ. नवागढ़ है.

समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमे वेष्टित है का प्रयोग करते हुए मैं सी. एस. जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जांजगीर अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बोरदा, पं. क्र. 340, दिनांक 04-10-2005 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 15 मार्च 2021

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र./उपजां/परिसमापन/2021/513.—इस कार्यालय के आदेश क्र./उपजां/परि./2008/196 दिनांक 02-12-2014 द्वारा तेजस्वनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. जांजगीर, पं. क्र. 291, दिनांक 02-04-2003 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, स. वि. अ. नवागढ़ है.

समिति के भूतपूर्व पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पुर्नजीवित/कार्यशील करने में रूचि नहीं लेने के कारण परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमे वेष्टित है का प्रयोग करते हुए मैं सी. एस. जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जांजगीर अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत तेजस्वनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. जांजगीर, पं. क्र. 291, दिनांक 02-04-2003 विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

हस्ता./-

सहायक पंजीयक.